प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या छह सौ के आसपास बनी हुई है

राजधानी जयपुर में मंगलवार को 202 नए संक्रमित मिले, जबकि अन्य जिलों में इनकी संख्या पचास से भी कम रही है

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में करोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। इसके चलते नए संक्रमितों की संख्या छह सौ के आसपास बनी हुई है। वहीं रोजाना नए संक्रमितों के मुकाबले में 2 से 3 गुना मरीज ठीक हो रहे हैं। प्रदेश में मंगलवार को जहां 616 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 3 और लोगों की मौत हुई है। इस बीच 1682 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं।

प्रदेश में मंगलवार को 29 जिलों में करोना संक्रमण के 616 नए मामले मिले है। इससे पहले सोमवार को 563 रोगी पाए गए थे। आज चार जिले बूंदी, जालोर, करौली और सिरोही में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है। इसके अलावा राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 202 मरीज मिले हैं। वहीं उदयपुर में 45, जोधपुर व कोटा में 41-41, नागौर में 31, अजमेर में 30, झुंझुनूं में 23, भीलवाड़ा में 21, चूरू में 17, सीकर में 15, भरतपुर में 14, राजसमंद में 13, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर व गंगानगर में 11-11, बीकानेर में 10, झालावाड़ व टोंक में 9-9, हनुमानगढ़ में 8, बाड़मेर में 7, अलवर, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ में 6-6, बारां व सवाई माधोपुर में 5-5, पाली में 4, दौसा और धौलपुर में 2-2 नए संक्रमित मिले हैं। इस बीच राज्य में 1682 मरीज ठीक भी हुए हैं।

- चार जिले बूंदी, जालोर, करौली और सिरोही में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है।
- प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से 3 और लोगों की मौत हो गई है।

इसके साथ ही रिकवरी रेट बढ़कर 98.66 फीसदी पर पहुंच गई है। उधर राज्य में एक्टिव केस भी घटकर 7518 रह गए हैं। इनमें 2449 मामले जयपुर जिले में हैं। बाकी अन्य जिलों में 5 सौ से भी कम मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में करोना से होने वाली मौतों के आंकड़े में भी अब गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। मंगलवार को राज्य 3 लोगों की मौत हो गई है। इनमें अजमेर, बाड़मेर और सीकर में 1-1 मरीज की मृत्यु हुई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 9530 लोगों की मौत हो चुकी है।

सोडाला में 23 नए संक्रमित मिले

जयपुर जिले में मंगलवार को 44 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 23 मरीज सोडाला में पाए गए हैं। इसके अलावा वैशाली नगर और झोटवाड़ा में 17-17 तथा मानसरोवर में 11 संक्रमित मिले हैं।

विधान सभा का आईओएस मोबाइल एप लांच

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान विधान सभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने मंगलवार को यहां विधानसभा में बटन दबा कर विधान सभा का आईओएस (आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम) आधारित मोबाइल एप लॉंच किया। उल्लेखनीय है कि विधानसभा का एन्ड्राइड आधारित मोबाइल एप पूर्व में संचालित है।

आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम उपकरण धारक उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए यह एप जारी किया गया है। विधान सभा के इस एप में प्रश्न, प्रस्ताव, विधेयक, कार्यसूची, सत्र समीक्षा, बजट भाषण, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, सदन की कार्यवाही के विवरण सहित विधानसभा के सदस्यों के उपयोग हेतु प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली व समाचार कतरनें भी उपलब्ध रहेंगी। इस एप में महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन परिचय भी उपलब्ध होंगे। शर्मा ने बताया कि नवीनतम तकनीक में अग्रणी राजस्थान विधान सभा द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से विकसित इस एप में विधान सभा के कार्य से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी उपलब्ध रहेगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य बजट को अन्तिम रूप दिया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) सुरेश चन्द गुप्ता, शासन सचिव वित्त (बजट) सुधीर कुमार शर्मा, शासन सचिव वित्त (व्यय) नरेश कुमार ठकराल एवं निदेशक (बजट) ब्रजेश किशोर शर्मा उपस्थित थे।

सांगानेर की फैक्ट्रियों को लेकर दिए आदेशों के बारे में निचली अदालतों को दें सूचना : हाईकोर्ट

जयपुर। हाईकोर्ट ने सांगानेर की कपड़ा रंगाई-छपाई की फैक्ट्रियों को लेकर अब तक दिए आदेशों की जानकारी निचली अदालतों को देने के संबंध में हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि निचली अदालतों को इस संबंध में दिए आदेशों की जानकारी होने पर फैक्ट्री के पानी-बिजली के कनेक्शन काटने के संबंध में दायर दावे पर सुनवाई के दौरान निचली अदालत को प्रकरण की पूरी जानकारी रहेगी। सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की खंडपीठ ने यह आदेश विजय सिंह पूनिया की याचिका में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने कहा कि हाईकोर्ट पूर्व में आदेश जारी कर फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट के लिए सीईटीपी प्लांट लगाने के निर्देश दे चुका है। इसके अलावा इसकी अवहेलना करने पर इन फैक्ट्रियों के नल-बिजली के कनेक्शन भी काटने के निर्देश दिए थे। जब इन फैक्ट्री संचालकों को जेवीवीएनएल और पीएचईडी ने नोटिस दिए तो संचालकों ने निचली अदालतों में दावा पेश कर दिया। दावे में संचालक प्रकरण में दिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों की जानकारी नहीं देते।

प्रदेश में जल जीवन मिशन में 5352 गांवों में 11 लाख 20 हजार 'हर घर जल' कनेक्शन के प्रस्ताव मंजूर

जयपुर, (का.सं.)। जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी की अध्यक्षता में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तहत राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड (आर. डब्ल्यू. एस. एस. एम. बी.) की नीति निर्धारण समिति (पी. पी. सी.) की 207वीं बैठक मंगलवार को शासन सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक में डॉ. जोशी ने जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) के तहत प्रदेश में मेजर प्रोजेक्ट्स और रेग्यूलर विंग में 11 हजार 95 करोड़ रुपये की लागत से 5352 गांवों की 75 स्कीम्स में 11 लाख 19 हजार 640 'हर घर जल' कनेक्शन देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी।

इसमें 17 वृहद पेयजल परियोजनाओं के तहत 10 हजार 83 करोड़ रुपये की लागत से 4336 गांवों में 9 लाख 85 हजार से अधिक 'हर घर जल' कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी प्रकार रेग्यूलर विंग में 58 सिंगल एवं मल्टी विलेज परियोजनाओं में 1012 करोड़ रुपये की लागत से 1016 गांवों में एक लाख 34 हजार 630 'हर घर जल' कनेक्शन देने के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया।

- आगामी गर्मियों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल परिवहन के लिए 95.80 करोड़ रुपये के प्रस्ताव का अनुमोदन
- जयपुर शहर सहित कई शहरी जल प्रदाय योजनाओं के प्रस्तावों को भी स्वीकृति

जलदाय मंत्री ने बैठक में राज्य में ग्रीष्म-2022 के दौरान आगामी अप्रेल से अगस्त माह तक के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल परिवहन के लिए 95.80 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 86.69 करोड़ रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 29.11 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इसके साथ ही पाली शहर में आगामी ग्रीष्मकाल में रेल के माध्यम से सम्भावित जल परिवहन व्यवस्था के लिए 28.83 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

बैठक में जोधपुर शहर एवं जिले के 4 शहरी कस्बों फलौदी, पीपाड़, बिलाड़ा एवं भोपालगढ़ तथा जोधपुर, पाली एवं बाड़मेर के 2167 गांवों के लिए राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-तृतीय के लिए 1799 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। जयपुर शहर में बीसलपुर प्रोजेक्ट के तहत एस-15 से एस-18 जोन (डिग्गी मालपुरा रोड़ से जयपुर में टोंक रोड़ पर सीतापुरा इंडस्ट्रीयल एरिया तक) को जोड़ने के लिए 114.73 करोड़ रुपये के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे जयपुर सिटी में सांगानेर टाऊन के वार्ड संख्या 35 से 37 एवं 47 तथा जेडीए की गोविंदपुरा कॉलोनी सहित 250 अन्य आवासीय कॉलोनियों को फायदा होगा। जयपुर में लक्ष्मण डूंगरी योजना के संवर्द्धन के लिए 19.73 करोड़ के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। इससे चारदीवारी क्षेत्र में बीसलपुर सिस्टम के लिए जल स्टोरेज क्षमता का संवर्द्धन होगा एवं लोगों को नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा एवं प्रेशर से पेयजल आपूर्ति हो सकेगी।

गहलोत सरकार हर परीक्षा में फेल : शेखावत

जयपुर। आरएएस प्री 2021 का रिजल्ट निरस्त होने पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार हर परीक्षा में फेल है। मंगलवार को ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गहलोतजी और उनका मंत्रिमंडल जनता के प्रश्नों की परीक्षा दिलाएं तो माइनस मार्किंग तय है। रीट के बाद अब आरएएस प्री का परिणाम निरस्त होने पर यही कहना काफी होगा कि ये तो होना ही था। शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरकार यानी भ्रष्टाचार।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

तीये की बैठक

हमारे पूजनीय जीजाजी **श्री राजकुमारजी अग्रवाल** पुत्र स्व. श्री निरोतीलालजी अग्रवाल, वृन्दावन वालों का आकस्मिक गोलोकवास दिनांक 21.02.2022 को हो गया है। ससुराल पक्ष की तीये की बैठक सम्मिलित रूप से ही दिनांक 23.02.2022 (बुधवार) को दोपहर 03 से 04 बजे तक आनन्दा कृष्णा वन, सुनरख रोड, मधुवन कॉलोनी, वृन्दावन (यू.पी.) में रखी गई है।
शोकाकुल-बृजबिहारी अग्रवाल, जुगल मोदी, बृन्दावन बिहारी-लता, राम बिहारी-चित्रा, मुकुन्द बिहारी-पिंकी, विष्णु अग्रवाल-किरन, निधि-श्यामजी, रितु, वर्षा, कीर्तिनंदन-भूमिका, राघव, वैभवन, देव एवं समस्त मोदी परिवार।

तीन दिन में 297 बाल वाहिनियां सीज

जयपुर, (का.सं.)। परिवहन नियमों के विरूद्ध प्रदेश में संचालित बाल वाहिनियों के खिलाफ परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग अब सख्त कार्रवाई कर रहा है। सघन जांच अभियान चलाकर विभाग के प्रादेशिक, जिला परिवहन अधिकारी और निरीक्षक बाल वाहिनियां की जांच कर रहे हैं।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया विभाग द्वारा पिछले 3 दिनों में 5276 बाल वाहिनियां की जांच की गई। इसमें 1410 के चालान बनाये गये, जबकि 297 को सीज तक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों को नियम विरूद्ध परिवहन करने वाले वाहनों और संचालकों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि शनिवार से अभियान चलाया गया। पहले ही दिन 2576 बाल वाहिनियां को चैक कर नियमों के उल्लघंन पाये जाने पर 606 के चालान बनाये गये। साथ ही 149 को सीज भी किया गया। वहीं, दूसरे दिन रविवार स्कूलों में अवकाश होने पर परिवहन निरीक्षकों द्वारा स्कूलों में ही पहुंचकर 369 वाहिनियों की जांच कर 97 के चालान बनाये गये।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग आयुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसमें चाहे लोक परिवहन बसें हो या फिर बाल वाहिनियां और अन्य परिवहन संसाधन, नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों, (आरटीओ) और जिला परिवहन अधिकारियों (डीटीओ) को जांच अभियान निरंतर चलाने के निर्देश दिये हैं। सोनी ने बाल वाहिनियों में स्पीड गवर्नर, फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस सहित अन्य नियमों की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

- नियम विरूद्ध संचालित बाल वाहिनियों पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई

पीपीटीसी और डीपीएसई करने वालों को प्री-प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से दो वर्षीय पूर्व प्राथमिक शिक्षण कोर्स पीपीटीसी और डीपीएसई करने वाले अभ्यर्थियों को प्री-प्राइमरी शिक्षक भर्ती-2018 में समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश चेतन व अन्य की याचिकाओं पर दिए। अदालत ने कहा कि दोनों कोर्स को एनसीटीई ने मान्यता दे रखी है। ऐसे में नियमानुसार यह पाठ्यक्रम करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र हैं।

याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से दो साल का पूर्व प्राथमिक कोर्स पीपीटीसी और डीपीएसई कोर्स किया है। एनसीटीई ने अपने दो वर्षीय एनटीटी कोर्स का नाम कई बार बदला है।

भगवद्गीता को अपनाने से प्रशस्त होता है स्वस्थ जीवन का मार्ग : राज्यपाल

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि भगवद्गीता को यदि हम जीवन में अपना लेते हैं तो सहज ही स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उन्होंने भगवद्गीता को जीवन का महत्वपूर्ण ग्रंथ बताते हुए कहा कि जितनी बार हम इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ते हैं, जीवन जीने के उतने ही नए अर्थ मिलते जाते हैं।

राज्यपाल मंगलवार को यहाँ राजभवन से आजादी के 'अमृत महोत्सव' के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, अहमदाबाद द्वारा आयोजित स्वास्थ्य और कल्याण विषयक संगोष्ठी को ऑनलाइन सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन का बड़ा सूत्र यही है कि जो हमारे पास है, उसमें संतोष करें। किसी से कोई अपेक्षा नहीं करें। जो दायित्व हमें दिए गए हैं, उनकी पूरे मन से पालना करें।

मिश्र ने कहा कि भारतीय संस्कृति 'सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संतु निरामया' की है। सुखी और स्वस्थ होने पर ही जीवन के सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मनुष्य के सम्पूर्ण स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। मन स्वस्थ होगा तभी तन भी स्वस्थ होता है। इसलिए मन को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक सोच रखना सबसे अधिक जरूरी है।

इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने, परिवार को आगे बढ़ाने और स्वयं की प्रगति के लिए उत्तम स्वास्थ्य ही पहला आधार है। आयुर्वेद में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य स्वास्थ्य के तीन आधार बताए गए हैं।

'नया भारत-संकल्पित भारत-सशक्त भारत' मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी शुरू

जयपुर, (का.सं.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में आज देश हर क्षेत्र में प्रगति की नई इबारत लिख रहा है। इसकी जानकारी आम जनता तक पहुँचाने के लिए नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत प्रदर्शनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस तरह के आयोजन पूरे राजस्थान में किए जा रहे हैं, जिसका अधिकाधिक लाभ लोगों को उठाना चाहिए। यह विचार जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा ने व्यक्त किए। वह प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, जयपुर द्वारा आयोजित पाँच दिवसीय मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। भवानी निकेतन इंजीनियरिंग कॉलेज प्रांगण, सीकर रोड, जयपुर में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।

इस अवसर पर मंच पर पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़,प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला,आकाशवाणी समाचार, जयपुर के निदेशकनीलेश कालभोर,श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के सदस्य संपत सिंह धनोरा,सहायक निदेशक के.सी. मीणा उपस्थित थे। इस अवसर पर गौड ने कहा कि नयी पीढ़ी को आजादी के लिए हुए लम्बे संघर्ष की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें इस प्रदर्शनी के माध्यम से आजादी के लिए दिए गए बलिदानों की जानकारी होगी। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला ने प्रदर्शनी के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 21 प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें मनोरंजक तरीके से अलग-अलग क्षेत्रों की जानकारी प्रदर्शित की गई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार के निदेशक नीलेश कालभोर ने एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर संवादात्मक तरीके से उपस्थित लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम में संपत सिंह धनोरा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए इस पाँच दिवसीय प्रदर्शनी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों के हाथों पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित पांच दिवसीय मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी का भवानी निकेतन इंजीनियरिंग कॉलेज प्रांगण में उद्घाटन किया। इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़, प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, जयपुर के निदेशक नीलेश कालभोर, श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के सदस्य संपत सिंह धनोरा, सहायक निदेशक के.सी. मीणा उपस्थित थे।

तीये की बैठक

हमारे प्रिय
श्री महेश जी सोयल
पार्षद वार्ड 66, नगर निगम जयपुर हैरिटेज
पुत्र श्री गुलाबचन्द जी सोयल का आकस्मिक निधन 21.02.2022 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 23.02.2022 को 4.30-5.30 बजे सामुदायिक केन्द्र, मण्डी खटीकान, जयपुर पर रखी गई है।
अजय यादव (पूर्व पार्षद एवं चैयरमेन) समाज सेवी
कुसुम यादव (महापौर प्रत्याशी जयपुर हैरिटेज) पार्षद वार्ड 74
श्रद्धानवत : समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी वार्ड 74

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत-तृतीय
राजस्थान आवासन मण्डल
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर
दूरभाष संख्याः- 0141-4901853
क्रमांकः12708 **जाहिर आम-सूचना** दि.:16.02.2022
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-13/146 मालवीय नगर जयपुर, क्षेत्रफल 46.67 वर्ग मीटर का नियमितिकरण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 4735 दिनांक 30/03/2013 श्रीमती ब्रह्मा देवी पत्नी श्री मूलचन्द वत्स के पक्ष में जारी किया गया था। श्रीमती ब्रह्मा देवी की मृत्यु दिनांक 23/04/2019 को हो जाने के पश्चात् श्री विवेक वत्स पुत्र स्व.श्री पुरूषोत्तम वत्स के द्वारा क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री विवेक वत्स पुत्र स्व.श्री पुरूषोत्तम वत्स के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही करदी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक वृत तृतीय, रा. आ. मण्डल जयपुर

सूचना कम्पनी की योजना नारायण सिटी ब्लॉक एच में भूखण्ड संख्या-654/655, जिसका क्षेत्रफल 92.22 वर्गगज व भूखण्ड संख्या 656 जिसका क्षेत्रफल 100.00 वर्गगज है जो कि माला देवी सक्सैना पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार सक्सैना निवासी-डी-40, मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर के नाम आवंटन पत्र जारी किये हुये थे। चूंकि उपरोक्त आवंटन पत्र गुम हो गये है। अतः पार्टी ने डुप्लीकेट आवंटन पत्र चाहे है। अगर किसी को एतराज हो तो 15 दिन में कम्पनी कार्यालय में सम्पर्क करें। इसके बाद कम्पनी डुप्लीकेट आवंटन पत्र जारी कर देगी। पहले वाला आवंटन पत्र स्वत ही निरस्त हो जायेगा।
श्री सालासर ओवरसीज प्रा.लि.
बी-14, हीरा नगर, शिप्रा पथ कार्नर, मानसरोवर, जयपुर।

खोया-पाया

मेरा मकान संख्या 61/260 रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर के मूल अलोटमेन्ट लैटर, पजेशन लैटर No Dues Letter कहीं खो गये है। मिलने पर संपर्क करें। जुगल किशोर गुप्ता। **मो. 9352645740**

मेरा आवास संख्या 114/88 प्रताप नगर सांगानेर आरएचबी द्वारा जारी डिमांड लेटर कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। **मो.-9214503818**

मैं विष्णुकुमार गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता मेरी दुकान नंबर-21, एनजीएस, नेहरू पैलेस, टोंक रोड, जयपुर के साइट प्लान, कब्जा पत्र, आवंटन पत्र खो गये है। मिले तो संपर्क करें, उपायुक्त जोन-3, जविप्रा, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैं विनय मानसिंह का निवासी फ्लैट नं. ए-801, मेलोडिया बिल्डिंग, गांधी पथ, वैशाली नगर जयपुर मैंने अपनी पुत्री का नाम अविका मानसिंहका से बदलकर अविष्का मानसिंहका रख लिया है। भविष्य में इसे इसी नाम से जानें। एवं इसकी जन्मतिथि 09.04.2014 है।

मैंने अपना नाम श्वेता पाराशर मदान से बदलकर श्वेता पाराशर कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। पता-93/71, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

I Mahaveer Alias Mahaveer Prasad S/o Bhagwana Ram R/o Ward No. 11, Piprali, Sikar, Rajasthan 332027, have changed my name to Mahaveer Singh.

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक : 15530 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 18.02.2022
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास/फ्लैट संख्या-51/429 (LIG) का आंवटन श्रीमती फरनाडीस पत्नी श्री जोय जे.एम. को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 1503 दिनांक 30.04.1993 को जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र कमांक 717 दिनांक 28.02.1995 के द्वारा श्री टी. के.थामस पुत्र श्री टी.टी. कुरूविला के पक्ष में किया गया। श्री टी.के.थामस की मृत्यु दिनांक 24.03. 2019 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री चेसलेर थॉमस पुत्र स्व. श्री थॉमस टी.के द्वारा आवासन मण्डल में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ती प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ती नहीं है, श्री चेसलेर थॉमस पुत्र स्व. श्री थॉमस टी.के. का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। सम्पदा प्रबंधक- वृत-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम-2 जयपुर महानगर प्रथम।
आनन्दीलाल बनाम श्रीमति मैना देवी व अन्य
वाद प्रार्थना पत्र-----
प्रार्थना पत्र संख्या- आपत्ति पत्र
1. श्रीमति मैना देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रतन लाल जैन,
2 रमेश चन्द जैन पुत्र स्वर्गीय श्री रतन लाल जैन,
3 सुरेश चन्द जैन पुत्र स्वर्गीय श्री रतन लाल जैन, निवासीगण- 1746, मणिहारों का रास्ता, नेहरू बाजार, जयपुर।
4 श्रीमति शकुन्तला जैन पत्नी श्री नवीन जैन, पुत्री स्वर्गीय श्री रतन लाल जैन निवासी-ए-104, मधुवन कॉलोनी, किसान मार्ग, टोंक रोड, जयपुर।
5 श्रीमति शशिप्रभा जैन पत्नी श्री रवि गंगवाल, पुत्री स्वर्गीय श्री रतन लाल जैन निवासी-ढ्ढा मार्केट, घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।
6 श्रीमति पुष्पा जैन पत्नी श्री सुशील जैन, पुत्री स्वर्गीय श्री रतन लाल जैन निवासी-97, नेता मार्ग, मानसिंहपुरा, टोंक रोड, जयपुर।
उक्त........ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि......
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिये दि......माह 02.03.20222 को 10.30 एएम पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 19.02.2022 सन....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से
मोहर वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-02 जयपुर महानगर प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम-2 जयपुर महानगर प्रथम।
आनन्दीलाल बनाम श्रीमति मैना देवी व अन्य
वाद प्रार्थना पत्र-----
प्रार्थना पत्र संख्या- आपत्ति पत्र
1. श्रीमति मैना देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रतन लाल जैन,
2 रमेश चन्द जैन पुत्र स्वर्गीय श्री रतन लाल जैन,
3 सुरेश चन्द जैन पुत्र स्वर्गीय श्री रतन लाल जैन, निवासीगण- 1746, मणिहारों का रास्ता, नेहरू बाजार, जयपुर।
4 श्रीमति शकुन्तला जैन पत्नी श्री नवीन जैन, पुत्री स्वर्गीय श्री रतन लाल जैन निवासी-ए-104, मधुवन कॉलोनी, किसान मार्ग, टोंक रोड, जयपुर।
5 श्रीमति शशिप्रभा जैन पत्नी श्री रवि गंगवाल, पुत्री स्वर्गीय श्री रतन लाल जैन निवासी-ढ्ढा मार्केट, घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।
6 श्रीमति पुष्पा जैन पत्नी श्री सुशील जैन, पुत्री स्वर्गीय श्री रतन लाल जैन निवासी-97, नेता मार्ग, मानसिंहपुरा, टोंक रोड, जयपुर।
उक्त........ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि......
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिये दि......माह 02.03.2022 सन.....को....... पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 19.02.2022 सन....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से
मोहर वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-02 जयपुर महानगर प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 5/22
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी : नाम विजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री राजनारायण जाति ब्राह्मण
विवाद स्थान 1-बी-102 शिव शक्ति कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर
मृतक श्री केशव दत्त शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 30.03.22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम केशव दत्त शर्मा पुत्र स्व. श्री हेमचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी 1-बी-102 शिव शक्ति कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 30 माह 03 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 18 माह 02 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से
वरिष्ठ मुंसरिम
मोहर जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
No.:F-2(01)Acct/Contract/2021/516-518 Date: 21-02-2022
ई-निविदा सूचना संख्या : 85/2021-22
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा कार्यो की कुल लागत	:	रूपये 157.40 लाख (07 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	:	23.02.2022 को प्रातः 10.00 बजे से 04.03.2022 को सांय 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	:	23.02.2022 को प्रातः 10.00 बजे से 04.03.2022 को सांय 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	:	07.03.2022 को प्रातः 11.00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट : urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN: ITU2122WSOB00605, ITU2122WSOB00606, ITU2122WSOB00607, ITU2122WSOB00608, ITU2122WSOB00609, ITU2122WSOB00610, ITU2122WSOB00611
(हितश सुखवाल) अधिशाषी अभियन्ता-द्वितीय, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

प्रारूप-5
(नियम 6 (2) देखिए)
कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.
क्रमांक- नपाश्रीमा./2021-22/3430-31 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक- 22.12.2021
श्री प्रहलाद मल सैनी पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण जाति माली निवासी वार्ड नं. 34 ढाणी पीपलावाली कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला-सीकर (राज.) ने नीचे वर्णित भूमि में के अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वार्ड नम्बर 25 मोहल्ला कचियागढ कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर	चर्तुसीमाऐं निम्न प्रकार से हैं पूर्व दिशा में आम रास्ता, सड़क, पश्चिम दिशा में आम रास्ता गली, उत्तर दिशा में आम रास्ता गली, व दक्षिण दिशा में कैलाश व श्याम सैनी का मकान अवस्थित है।	आवासीय भूखण्ड की नाप पूर्व से पश्चिम उत्तर की ओर 23 फुट 6 इंच, व दक्षिण 32 फुट और उत्तर से दक्षिण 25 फुट 6 इंच कुल क्षेत्रफल 88.74 वर्गगज अर्थात 74.19 वर्गमीटर

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22.12.2021 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर